न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
170 / 2024	2024 / 86	24.10.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

उम्मेद पुत्र शिवसहाय जाति चमार निवासी ढाणी रामनगर, तन भूरी मडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान। वादी

बनाम

1. कंचन पुत्री पूरणमल
2. नीतूरानी पुत्री नानगराम
3. सुमन पुत्री बाबूलाल
4. सरोज देवी पत्नि इन्द्राज

समस्त जातियान चमार निवासियान ढाणी रामनगर, भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

सबरजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

वादीया वकील श्री रामनिवास यादव व हजारी लाल यादव
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 की एकपक्षीय कार्यवही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1 वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1939 / 0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी में वादी का हिस्सा 7 / 12 वादी ने द्वारा विकयपत्र उपरोक्त खेत के बडोल दक्षिण की तरफ तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 ने हिस्सा 5 / 12 उपरोक्त आराजी का बतरफ उत्तर की तरफ का द्वारा विकय पत्र कय किया था तथा मौके पर अपना अपना हिस्सा अनुसार नापकर वादी व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा अनुसार तकास्मा करवाकर काबिज है एवं उपरोक्त खसरा नंबर का पूर्वी डोल एमडीआर रोड से लगता हुआ है। जिसका समानुपात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 5250 / 9000 हिस्सा नाप पर बतरफ दक्षिण की तरफ वादी काबिज है तथा हिस्सा 3750 / 9000 पर बतरफ उत्तर की तरफ समानुपात रिकॉर्ड अनुसार पूर्वी डोल और कब्जा नाप अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 मौके पर काश्तकार काबिज है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया का आज दिन तक पक्षकारान के मध्य मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा शामिल में ही पक्षकारान उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहे है इसलिए पक्षकारान के मध्य आये दिन काश्त संबंधी व लगान संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते है।

2. वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी मुतदाविया का मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे अब गत सप्ताह से साफ इंकार हो गये है। इसलिए वादी को हक हो गया है कि जरिये अदालत आराजी हाल खसरा नम्बर 1939 / 0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पूर्वी डोल का राजस्व रिकॉर्ड खतोनी अनुसार समानुपात भाग पर दक्षिण की तरफ वादी व उत्तर की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यरथ नियुक्त किया जावे एवं वादी के हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3 प्रतिवादी उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा किये दिगर व्यक्तियों को भूमि को रहन–बेचान करने व मौके पर जबरन मुख्य रास्ते की भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं मना करने पर नहीं मान रहे एवं मरने मारने पर उतारू है एवं ऐलानिया धमकी दे रहे है उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मे चारदीवारी लगा कब्जा कर लेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे इसलिए वादी को हक हो गया है कि वे जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1939/0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन–बेचान नहीं करे के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी का गत सप्ताह विधिवत हाल राजस्व रिकार्ड व मौके पर तकास्मा करवाने से इंकार करने एवं बिना तकास्मा किये भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन–बेचान करने एवं भूमि पर निर्माण करने पर आमादा होने से पैदा हुआ है। आराजी मुतदाविया व फरिकेन न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते है इसलिए उपरोक्त वाद सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अनुसार नियत कोर्ट फीस 4 रूपए पर वाद प्रस्तुत है।

अतः वादी दावेदार है कि एक किता डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1939/0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का वादी को हिस्सा 7/12 बतरफ दक्षिण की तरफ पूर्वी डोल पर समानुपात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को बतरफ उत्तर हिस्सा 5/12 का पूर्वी डोल पर समानुपात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार घोषित किया जावें व राजस्व रिकॉर्ड में अलग खसरा नंबर बनवाकर नक्शा में रिकॉर्ड अनुसार पूर्वी डोल पर समानुपात भाग पर तरमीम करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। तथा प्रतिवादी को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1939/0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन–बेचान नहीं करे। अन्य जो दादर्शी मान्य न्यायालय वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध उचित समझे प्रदान की जावे।

4 दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 29.01.2025 को वादी वकील की एकपक्षीय बहस के उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 29.08.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1939/0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, पावटा तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	उम्मेद पुत्र शिवसहाय जाति चमार हि. पूर्ण सा. ढाणी रामनगर तन भूरीभडाज	1939/1 रकबा 0.5250 हैक्ट0 भूमि।
2	कंचन पुत्री पूरणमल हि. 1/4, नीतू रानी पुत्री नानगराम हि. 1/4, सुमन पुत्री बाबूलाल हि. 1/4 समस्त जाति चमार सा.ढाणी मंगलदास वाली सरोज देवी पत्नि इन्द्राज हि. 1/4 जाति चमार सा. ढाणी रामनगर भूरीभड़ाज	1939/2 रकबा 0.3750 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
170/2024	2024/86	24.10.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

उम्मेद पुत्र शिवसहाय जाति चमार निवासी ढाणी रामनगर, तन भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. कंचन पुत्री पूरणमल
2. नीतूरानी पुत्री नानगराम
3. सुमन पुत्री बाबूलाल
4. सरोज देवी पत्नि इन्द्राज

समस्त जातियान चमार निवासियान ढाणी रामनगर, भूरी भडाज, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

सबरजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

वादीया वकील श्री रामनिवास यादव व हजारी लाल यादव
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 की एकपक्षीय कार्यवही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1939/0.90 हैक्टे. वाके मौजा भूरी भडाज, पावटा तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	उम्मेद पुत्र शिवसहाय जाति चमार हि. पूर्ण सा. ढाणी रामनगर तन भूरीभडाज	1939/1 रकबा 0.5250 हैक्ट0 भूमि।
2	कंचन पुत्री पूरणमल हि. 1/4, नीतू रानी पुत्री नानगराम हि. 1/4, सुमन पुत्री बाबूलाल हि. 1/4 समस्त जाति चमार सा.ढाणी मंगलदास वाली सरोज देवी पत्नि इन्द्राज हि. 1/4 जाति चमार सा. ढाणी रामनगर भूरीभड़ाज	1939/2 रकबा 0.3750 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा